

पत्रांक-म०भो०/को०-१७१/२०१२-२६५
विहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

By-E mail

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

विषय: जिला स्तर पर प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोईया-सह-सहायक महाशय,

पटना, दिनांक 16/02/16

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के द्वारा सभी जिलों के जिला समन्वयक, जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी मास्टर ट्रेनर के रूप में पटना में चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् जिला के सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोईया-सह-सहायक को प्रशिक्षण दिया गया था। पुनः वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला स्तर पर जिला में कार्यरत उपरोक्त सभी को प्रशिक्षित दिया गया था। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला स्तर पर प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोईया-सह-सहायक को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्न बिन्दु स्पष्ट किये जाते हैं:-

- प्रशिक्षण प्रखंड संसाधन केन्द्र पर दिया जाना है।
- प्रशिक्षण 50-50 के बैच में दिया जाएगा।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना सुविधानुसार प्रखंडवार बैच बनाकर मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोईया-सह-सहायक को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रतिदिन दो बैच में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे एवं एक बैच का सत्र चार घंटे का होगा। सभी रसोईया-सह-सहायक के बैच में मास्टर ट्रेनर के तौर पर एक प्रखंड साधन सेवी एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किये गये एक रसोईया-सह-सहायक प्रशिक्षण देंगे। प्रधानाध्यापक के बैच में मास्टर ट्रेनर के तौर पर एक प्रखंड साधन सेवी एवं पूर्व में मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किये गये एक प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव के बैच में प्रशिक्षक के तौर पर एक प्रखंड साधन सेवी एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में पूर्व से प्रशिक्षित एक प्रधानाध्यापक होंगे।
- मास्टर ट्रेनर रसोईया-सह-सहायक को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर आने-जाने के लिए ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा एवं मास्टर ट्रेनर प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र पर आने-जाने के लिए ₹50/- (पचास रुपये) प्रतिदिन भुगतान किया जायेगा। यह राशि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना अपने स्तर से भुगतान करेंगे।

6.

प्राविष्टण व्यय हेतु प्रति प्रशिक्षण 80/- (अस्सी ८०) की दर से उत्पातन किया जायेगा। इस राशि में प्रशिक्षणों हेतु अल्पहर (वाय, बिस्कूट इत्यादि) के लिए 35/- (एटीसी ४०), स्लोई-सहायक जेनरेटर इत्यादि) करने के लिए 20/- (बीस ५०) एवं अन्य व्यवस्था (द्वुल, कुर्सी, साउथड, आवश्यकता अनुसार उपयुक्त दिये गये किसी भूत से घटया एवं बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना, प्रखण्ड साधन सेवा के मध्यम से रसोईया-सह-सहायक जीप अथवा ट्रैक्सू लिंगराये पर लिया जा सकता है।)

7.

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना प्रखण्ड सांसाधन केन्द्र पर गोजेकर, लैपटॉप एवं सिफर के मध्यम से प्राविष्टण देना सुनिश्चित करेंगे।

8.

प्रखण्ड सांसाधन केन्द्र पर पूर्ण से दरी एवं टेबल-कुर्सी का उपयोग किया जा सकता है। अतः प्रशिक्षणों को बैठने हेतु सभी प्रखण्ड सांसाधन केन्द्र पर या प्रखण्ड मुख्यालय परिसर में पूर्ण से जेनरेटर उपलब्ध रहता है।

प्राविष्टण देने हेतु इन्हीं जेनरेटरों का उपयोग किया जा सकता है एवं आवश्यकता अनुसार ईंधन की आपूर्ति की जा सकती है। यदि किसी विशेष परीक्षित में प्रखण्ड सांसाधन केन्द्र पर या प्रखण्ड मुख्यालय का जेनरेटर उपलब्ध नहीं हो पर तो भावे पर जेनरेटर ले सकते हैं।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन सभी प्रखण्ड स्तर प्राविष्टण के लिए एक ही बार जिला पदाधिकारी के स्तर से आदेश निर्गत करेंगे एवं अधोहस्तकारी को भी एक प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

प्राविष्टण कार्यक्रम दिनांक- 22.02.2016 से प्रारम्भ कर दिनांक-30.03.2016 तक लगातार कर संपन्न किया जायेगा।

12. जिला विभाग एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों जैसे- वरीय उप-समाहर्ता, जिला विद्या पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना एवं प्रखण्ड विद्या पदाधिकारी से मध्याहन भोजन योजना प्राविष्टण कार्यक्रम को अनुश्रवण हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

13. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन अपने स्तर से यह प्रयास करेंगे कि प्रथम दिवस का प्राविष्टण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाये।

14. अतः उक्त परिस्थित में निवेदा दिया जाता है कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन प्राविष्टण को सफलता बनाने हेतु स्वयं प्राविष्टण को अनुश्रवण करेंगे एवं सामाजिक प्रतिवेदन निम्नवत् दिये गये प्रपत्र में भरकर अधोहस्तकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रपत्र "क"

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड में कुल विद्यालयों की संख्या	प्रखण्ड में कुल स्कॉल स्कॉलों की संख्या	किनारा स्कॉल तक प्रशिक्षित किये गये कुल स्कॉलों की संख्या	किनारा स्कॉल में प्रशिक्षित किये गये कुल स्कॉलों की संख्या	किनारा स्कॉल में प्रशिक्षित किये गये कुल स्कॉलों की संख्या
जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड में कुल विद्यालयों की संख्या	प्रखण्ड में कुल स्कॉल स्कॉलों की संख्या	प्रशिक्षित किये गये कुल स्कॉलों की संख्या	प्रशिक्षित किये गये कुल स्कॉलों की संख्या	प्रशिक्षित किये गये कुल स्कॉलों की संख्या

प्रपत्र "क"

प्रान्त "A"

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड में कुल विद्यालयों की संख्या	प्रखण्ड में कुल विद्यार्थी की संख्या	वितरित सालाह तक की संख्या	वितरित सालाह में गये कुल विद्यार्थी की संख्या	वर्तमान सालाह में गये कुल विद्यार्थी की संख्या	कुल प्रशिक्षित अव्याख्या / साचिव की संख्या

विश्वासभाजन

झापाक
(हरिहर प्रसाद)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापक २६५/पटना, दिनांक १६/०२/१६

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को कुलगार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

झापाक
(हरिहर प्रसाद)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापक २६५/पटना, दिनांक १६/०२/१६

प्रतिलिपि :- आत्म साचिव, रिक्षा मंत्री/प्रधान साचिव, रिक्षा विभाग, बिहार, पटना को कुलगार्थ प्रेषित।

झापाक
(हरिहर प्रसाद)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।